

चायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, श्रीगंगानगर
(पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत 2018/कैम्प कोर्ट) कैम्प चूनावद

प्रकरण संख्या 74/2018

दिनांक 6 जून, 2018

आदेश

प्रार्थी के जमाबन्दी खाता में दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी चूनावद व भू.अ.नि. चूनावद की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार श्रीगंगानगर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 24वीं पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2067-2070 में खाता संख्या 31/29 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र० सं०	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
①	<u>24वीं पी.</u>	<u>31/29</u>	<u>परमेश्वरी देवी पत्नी श्री रामचंद्र भाट, सा देह स्वतंत्र</u>	<u>परमेश्वरी देवी पत्नी श्री रामचंद्र सा. चूनावद</u>

6/6/18
(श्रीमती रीना चौधरी)

(सहायक) एवं
पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत एवं
उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

क्रमांक: रा.लो.अ./कैम्प/2018/ 1311-12

दिनांक:- 7-6-2018

1. तहसीलदार/नायब तहसीलदार श्रीगंगानगर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री परमेश्वरी देवी w/o श्री रामचंद्र को सूचनार्थ।

6/6/18
पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत एवं
उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर